न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 33/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00090

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. देवलाल पुत्र नानूराम मृतक जरिये का0मु0
1/1 कुन्तीबाई पुत्री देवलाल
1/2 मीना बाई पुत्री देवलाल
1/3 रजनी पुत्री देवलाल
1/4 रितु पुत्री देवलाल
1/5 सुशीला बाई पत्नि देवलाल
जातियान मेहर निवासीगण जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित—
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 28/10/2025

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी देवलाल आत्मज नानूराम मेहर निवासी जुल्मी को ग्राम जुल्मी की आराजी खसरा नम्बर 3470/2649 की रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.6.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने से तथा अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया। आवंटी अप्रार्थी फोत होने पर आवंटी देवलाल के कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये ।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से सी0एल0 जाटव का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी ने दिनांक 2.8.2022 को जवाब प्रस्तुत कर उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त करना जाहिर किया किन्तु कब्जा काश्त की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है । आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./1170 दिनांक 11.8.2025 से प्रस्तुत की गई जो पत्रावली संलग्न है । वकील अप्रार्थी दिनांक 2.8.2022 को जवाब प्रस्तुत करने के बाद से काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है । अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार की बहस सुनी ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3470/2649 की रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.6.2002 को आंवटी

अप्रार्थी देवलाल को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । आवंटी फौत होने पर कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार रामगंमण्डी से ली गई, कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये । अप्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत करने के बाद बावजूद सूचना के अनुपस्थित है तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति मोहनलाल पुत्र उदयलाल जाति भील, बालाराम पुत्र उदयलाल जाति भील, राधेश्याम पुत्र उदयलाल जाति भील निवासी जुल्मी काबिज काश्त है जिनका लगभग 25 वर्षो से उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी आवंटी के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त करना फरमावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 3470/2649 की रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.6.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । वकील अप्रार्थी ने दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत जवाब में कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु कब्जा काश्त की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । जवाब प्रस्तुत होने के बाद अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । प्रकरण में कब्जा काश्त की मौका रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पत्रांक/1170 दिनांक 11.8.2025 रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अथवा आवंटी के कायम मुकामान का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों मोहनलाल पुत्र उदयलाल जाति भील, बालाराम पुत्र उदयलाल जाति भील, राधेश्याम पुत्र उदयलाल जाति भील निवासी जुल्मी द्वारा गत 25 वर्षो से कब्जा काश्त की जा रही है । इस प्रकार आवंटी एवं आवंटी के फौत होने के बाद उनके वारिसान द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जाकर आवंटन शर्तो की अवहेलना है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11.2.2002 निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि ग्राम जुल्मी के खसरा नम्बर 3470/2649 की रकबा 0.40 हे0, सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करते हुए राजहित में तहवील सरकार लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा